झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

पत्रांक– खा०प्र० 06/ज०वि०प्र०दु०अनु०नि०/03–02/2020

प्रेषक,

सतीश चन्द्र चौधरी भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
झारखंड।

/राँची, दिनांक

विषय :– अयोग्य राशनकार्डधारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग :– झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची का पत्रांक 391 दिनांक 19.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची की प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची के वाद संख्या 05/2022 के निष्पादन के क्रम में पलामू जिला के मनातू प्रखंड अंतर्गत 17 जन वितरण प्रणाली दुकानों की जाँच में कुल 177 अयोग्य राशनकार्ड जिसमें कुल 16 व्यक्ति सम्पन्न, 23 राशनकार्डधारी मृत, 96 राशनकार्ड डुप्लिकेट तथा 07 बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नाम से राशनकार्ड पाये जाने का मामला प्रकाश में आया है।

संभवतः इस तरह मामले अन्य जिलों में भी हो सकते है। अयोग्य राशनकार्डधारी द्वारा राशन के उठाव करने से सरकार को वित्तीय हानि पहुँचती है तथा योग्य व्यक्ति सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। विभाग द्वारा समय–समय पर जिलों को झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश में वर्णित अपवर्जन मानक में आने वाले लाभुकों के राशनकार्ड को रद्द करने हेतु निदेशित किया जाता रहा है। इस संबंध में जिलों द्वारा लगातार कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

इसके साथ ही, झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका–32 (i) में जन वितरण प्रणाली दुकानों के अनुश्रवण/निरीक्षण के संबंध में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :–

''विभाग उचित दर दुकानों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन मास में एक बार से अन्यून नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार निरीक्षण अनुसूची, जाँच के बिन्दुओं की सूची और उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी करेगा।'' इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 3124 दिनांक 02.12.2020 द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के अनुश्रवण/निरीक्षण करने वाले सक्षम पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र XI (छायाप्रति संलग्न) में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अतः झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 तथा उपर्युक्त विभागीय अधिसूचना में दिये गये निदेशों के आलोक में अपने जिले में स्थित प्रत्येक प्रखंड में सभी दुकानों का तीन माह में एक बार से अन्यून नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कराते हुए एवं अयोग्य राशनकार्डो को रद्द करने की कार्रवाई की जाए तथा इससे संबंधित मासिक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(सतीश चन्द्र चौधरी),
सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ज्ञापांकः– खा०प्र० 06/ज०वि०प्र०दु०अनु०नि०/03–02/2020....1145 /राँची, दिनांक 22-4-22

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/4/22
सरकार के अपर सचिव।